संचिका संख्या–प्र08–गो0नि0(पूर्णिया)–01/2009

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, रूपौली, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–900 दिनांक–08.06.2009 द्वारा परिवादी श्री अनिल पासवान से 4000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2109 दिनांक–19.06.2009 द्वारा श्री राय को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2423 दिनांक–02.07.2009 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही, श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोप के लिए विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–4697 दिनांक–09.11.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी उक्त के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापांक–8169 दिनांक–30.12.2013 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया एवं श्री राय के सेवानिवृति के उपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1276 दिनांक–14.02.2014 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के तहत समपरिवर्तित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–1953 दिनांक–20.03.2014 द्वारा श्री राय से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान की माँग की गई। श्री राय के स्तर से वांछित जवाब/बचाव बयान अप्राप्त रहने के फलस्वरूप सम्यक् समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2825 दिनांक–15.05.2014 द्वारा शत–प्रतिशत (100%) पेंशन रोके जाने का दण्ड संसूचित किया गया।

श्री राय द्वारा उक्त दण्डादेश को रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–15818/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक–04.04.2018 को पारित आदेश के माध्यम से श्री राय के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–2825 दिनांक–15.05.2014 को set aside कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में LPA No. 219/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–13.05.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि – Accordingly, order of the learned Single Judge dated 04.04.2018 insofar as paragraph Nos. 12 is concerned, it is set aside and matter is remanded to the disciplinary authority / Government to proceed from the defective stage namely on receipt of inquiring officer's report and the fact that respondent – Ashok Kumar Roy has attained age of superannuation and retired from service before framing of charges. In that event, power is vested with the State government, therefore, State government is hereby directed to proceed from the stage of action on inquiry officer's report, if government is disagreeing with the inquiry officer's report. Either remanding the matter to the inquiry officer (if he has retired), appoint new inquiry officer to commence inquiry from the defective stage or issue show cause notice etc., follow the relevant rule of CCA, and on receipt of respondent explanation, proceed to pass final order. The above exercise shall be undertaken within a period of six months from the date of receipt of this order.

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में पूर्व में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के त्रुटिपूर्ण स्तर से आगे जाँच करने के निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक–4397 दिनांक–04.10.2024 द्वारा मो0 नैयय्र इकबाल, भा0प्र0से0, विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त के क्रम में संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–5316 दिनांक–11.12.2024 के माध्यम से प्रस्तुत मामले का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करते हुए श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए मंतव्य के रूप में अंकित किया है कि प्रस्तुत मामलें की सम्यक जाँच हेतु अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उभय पक्षो के साथ–साथ निगरानी थाना काण्ड संख्या–63/2009 में साक्षी के रूप में नामित श्री विकास पासवान तथा श्री सुनिल कुमार शर्मा को परीक्षण/प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए निदेशित किया गया ताकि Civil Appeal No.7431/2008 (Arising out of SLP (c) No.-14429/2007) Roop Singh Negi versus Punjab Naitonal Bank and Ors. में दिनांक–19.12.2008 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें, परंतु दोनो साक्षी कार्यवाही के किसी भी स्तर में उपस्थित नहीं हुए। फलतः उभय पक्षो द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत मामलों की सूनवाई की गई। श्री राय ने अपने बचाव बयान में मुख्य रूप से अंकित किया है कि परिवादी श्री अनील पासवान अपने अधिनष्ठ वार्ड के परिवर्तन के लिए आवेदन किया था, साथ ही नई वितरण पंजी को अभिप्रमाणित करने के लिए कह रहा था। अविलंब वार्ड परिवर्तन करना संभव नहीं था। साथ ही नये पंजी को अभिप्रमाणित करने कि लिए पुरानी पंजी को साथ में लाना जरूरी था, जो वे साथ में नहीं लाये थे। उक्त कार्यो को करने के लिए मेरे ऊपर विजय पासवान जो परिवादी अनिल पासवान का बहनोई हैं एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनिल पासवान दवाब बना रहा था और कहा करते थे कि मेरा सम्बन्धी निगरानी विभाग में हैं, मैं जो कहूँ उसे तुरन्त कर दें, अन्यथा झूठा आरोप लगाकर फँसा दुँगा। साजिश के तहत दिनांक–27.05.2009 को निगरानी विभाग में मेरे विरूद्ध आवेदन दिया गया था कि अन्त्योदय योजना का भंडार निर्गमादेश (एस. आई.ओ.) देने के एवज् में 5000/– (पाँच हजार) रूपया माँग रहे हैं। श्री राय ने अपने आरोपों का खंडन करते हुए कतिपय कार्यो के निमित परिवादी द्वारा दबाव बनायें जाने का जिक्र किया गया है, हालाकिं इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि यदि परिवादी द्वारा आरोपी कर्मी श्री राय पर अनुचित कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था तो उक्त तथ्य से उन्हें अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया जाना चाहिए था। इस संबंध में श्री राय द्वारा न तो अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया और न ही उक्त आशय की लिखित सूचना किसी विधिक प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया है। अतः श्री राय का यह कथन की उनपर अनुचित कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था स्वीकार योग्य नहीं है। जहाँ तक भंडार निर्गमादेश निर्गत करने का प्रश्न है, इस संबंध में श्री राय द्वारा समर्पित Stock Issue Order की विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी श्री अनील पासवान को माह अप्रैल–2009 एवं माह मई–2009 का अन्त्योदय SIO हस्तगत/प्राप्त नहीं कराया गया है। यहाँ यह अंकित करना प्रासंगिक है कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वैसे लाभुक अच्छादित होते है जो गरीबों में भी गरीब हैं। ऐसी स्थिति में माह अप्रैल–2009 एवं माह मई–2009 में परिवादी श्री अनिल पासवान को किन परिस्थतियों में SIO उपलब्ध नहीं कराया गया, इसका तर्कसंगत उत्तर श्री राय द्वारा समर्पित नहीं किया गया, जबकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को SIO की प्रति उपलब्ध कराना आपूर्ति निरीक्षक का प्राथमिक कर्त्तव्य है। जहाँ तक निगरानी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि निगरानी विभाग की कार्रवाई सक्षम न्यायालय के क्षेत्रोधिकार में विचाराधीन है। अतएव इस पर टिप्पणी किया जाना नियामानुकूल नहीं है, परंतु समग्र घटनाक्रमों यथा–श्री राय द्वारा अन्त्योदय SIO परिवादी श्री पासवान को हस्तगत नहीं कराना, परिवादी द्वारा क्षुब्ध होकर निगरानी विभाग को

परिवाद समर्पित करना तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के क्रम में श्री अशोक कुमार राय तथा राजेश कुमार (दलाल) को गिरफ्तार कर रिश्वत के रूप में ली गई राशि 4,000/– रूपये के सभी जी0सी0 नोटों जिसका पूर्ण विवरण प्री ट्रैप मेमोरेण्डम में अंकित है, को जप्त किये जाने संबंधित तथ्य श्री राय द्वारा अन्त्योदय SIO निर्गत करने के एवज् में अनुचित राशि की माँग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। फलतः श्री राय के विरूद्ध परिवादी श्री अनिल पासवान से रिश्वत लेने संबंधित प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–181865 दिनांक–17.12.2024 द्वारा श्री राय से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान की माँग की गयी। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक–15469 दिनांक–09.12.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि विशेष लोक अभियोजक निगरानी, व्यवहार न्यायालय, भागलपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन सूचना के अनुसार आरोप पत्र सं0–63/2009 दिनांक–20.07.2009 धारा–7/8/13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 (यथासंशोधित 2018) अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। दिनांक–23.07.2009 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोप पत्रित धारा में संज्ञान लिया गया है। दिनांक–06.08.2012 को संज्ञानित धारा में आरोप पत्र गठन किया गया है। दोनों साक्षी यथा–श्री अनिल पासवान एवं मो0 सनोवर खाँ की गवाही हो चुकी है। वाद साक्ष्य पर निर्धारित है।

उक्त के क्रम में श्री राय ने दिनांक–22.01.2025 को अपना द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/बचाव बयान विभाग को समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप का खंडन करते हुए मुख्य रूप से अंकित किया है कि –

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित वर्तमान जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि कई अनुरोधों के बावजूद भी संचालन के क्रम में कोई साक्षी/गवाह उपस्थित नहीं हुए हैं, फिर भी स्थापित सिद्धान्त को दरकिनार करते हुए पक्षपात पूर्ण तरीके से मुझे कदाचार का दोषी करार दिया गया है। LPA No. 219/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय अपर सचिव के स्तर से आदेश निर्गत किया जाना/कार्रवाई किया जाना यथोचित नहीं है, क्योंकि अपर सचिव में राज्य सरकार की शक्ति निहित नहीं है। जाँच प्राधिकार द्वारा मेरे विरूद्ध गठित आरोप के इतर अन्य आरोप के संदर्भ में जाँच करते हुए तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। मेरे विरूद्ध गठित आरोप पत्र में एक मात्र आरोप यथा–घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से संबंधित है, जबकि जाँच प्राधिकार द्वारा शिकायतकर्त्ता को एस0आई0ओ0 जारी करने के एवज् में राशि की माँग किये जाने के बिन्दू पर जाँच को आधार बनाया गया है, इस प्रकार जाँच प्राधिकार अपने मूल उद्देश्य से भटक गये हैं। पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम एवं निगरानी विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र कभी भी जाँच प्रतिवेदन से असहमति का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि इसे विभागीय तौर पर सिद्ध नहीं किया जाता है। मेरे विरूद्ध संचालित की गई अनुशासनिक कार्रवाई साक्ष्यविहीन होने की श्रेणी में है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है और न ही जाँच प्राधिकार द्वारा संचालन के क्रम में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम के आधार पर गठित असहमति की जाँच निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। शिकायतकर्त्ता श्री अनिल पासवान स्वयं का वार्ड बदलना चाहते थे, परन्तु मेरे द्वारा ऐसा करने से इंकार करने पर तुच्छ शिकायत मेरे विरूद्ध दर्ज कराया गया है। संचालन पदाधिकारी इस तथ्य को भी समझने में विफल रहे हैं। सत्यापनकर्त्ता के बयान में स्पष्ट रूप से विरोधाभाष परिलक्षित होता है, जबकि संचालन के क्रम में इस पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है। आरोप सिद्ध करने हेतु कोई साक्षी/गवाह या अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। फोरेन्सिक लैब से संबंधित या कोई विशेषज्ञ का जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे मामले जहाँ आपराधिक एवं अनुशासनिक कार्रवाई साथ–साथ

चल रही हो तथा अनुशासनिक कार्रवाई उसी कदाचार से उत्पन्न हुई हो, तो विभागीय कार्यवाही की अंतिम परिणति के पूर्व ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार की जानी चाहिए।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री राय द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिन्हा का यह कहना कि निगरानी विभाग द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी एक आपराधिक कार्यवाही है तथा इसका आधार साक्ष्य, सबूत एवं गवाह होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–2324 दिनांक–10.07.2007 में आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के संबंध में अंकित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम बी0 के0 मीणा मामले में दिनांक–27.09.96 को पारित आदेश [AIR 1997 Supreme Court 13] के अनुसार समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय तो साथ ही साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जाय। उक्त के अतिरिक्त निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2717 दिनांक–07.05.2010 में भी स्पष्ट किया गया है कि ''भ्रष्टाचार या आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम तथा भा0द0वि0 की धाराओं के तहत अपराध सिद्ध हो जाने के बाद सजा प्रदान करने संबंधी निर्णय नियमानुसार लिया जायेगा। यह विभागीय कार्यवाही स्वतंत्र रूप से चलाई जानी है तथा इसका आपराधिक कार्यवाही में सजा होने अथवा सजा मुक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। यदि सरकारी सेवक आपराधिक कार्यवाही में सजा से मुक्त भी हो गया हो तो भी विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर सजा दी जा सकेगी या सजा कायम रखी जा सकेगी।''

जहाँ तक श्री राय द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण में स्वयं के विरूद्ध षडयंत्र का उल्लेख कर घटित घटना को अमान्य करना प्रतिवेदित किया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री राय को निगरानी दल द्वारा घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिससे इनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है, जोकि अग्रेतर कार्रवाई हेतु समुचित आधार प्रदान करता है। विदित हो कि ट्रैप का पुरा प्रक्रम निगरानी विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक (मो0 सरवर खाँ) के सत्यापन के उपरांत ही निगरानी धावा दल द्वारा किया गया है, जिसमें स्वतंत्र साक्षी है। इसके अतिरिक्त निगरानी विभाग से प्राप्त प्री–ट्रैप मेमोरेंडम में अंकित किया गया है कि परिवादी द्वारा रिश्वत में दिये जाने वाले 4000/– रूपये प्रस्तुत किया गया, जो निगरानी विभाग के प्रतिवेदनानुसार अभियुक्त से रिश्वत के रूप में बरामद कुल 4000/– रूपये जिसकी विवरणी प्री–ट्रैप मेमोरेंडम में अंकित जी0सी0 नोटों से मेल खाते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि श्री राय द्वारा अवैध राशि प्राप्त की गई, जिसके फलस्वरूप निगरानी धावा दल द्वारा इन्हें घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं इनके पास से परिवादी द्वारा दी गई राशि भी प्राप्त हुई। श्री राय का यह कहना कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपर सचिव के स्तर से आदेश निर्गत किया जाना यथोचित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् ही आदेश निर्गत किया गया है। यद्यपि श्री राय द्वारा यह अंकित किया जाना कि संचालन के क्रम में कोई साक्षी/गवाह उपस्थित नहीं हुए, फिर भी नियम को दरकिनार कर मुझे दोषी करार दिया गया है। तदापि संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में अंकित किया है कि उभय पक्षो के साथ–साथ निगरानी थाना काण्ड संख्या–63/2009 में साक्षी के रूप में नामित श्री विकास पासवान तथा श्री सुनिल कुमार शर्मा को परीक्षण/प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए निदेशित किया गया ताकि Civil Appeal No.7431/2008 (Arising out of SLP (c) No.-14429/2007)

Roop Singh Negi versus Punjab Naitonal Bank and Ors. में दिनांक–19.12.2008 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें, परंतु दोनो साक्षी कार्यवाही के किसी भी स्तर में उपस्थित नहीं हुए। फलतः उभय पक्षो द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत मामलों की सूनवाई की गई। उक्त के अतिरिक्त संचालन के क्रम में श्री राय को अपने बचाव / समर्थन में अन्य साक्ष्य / गवाह प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु श्री राय अपने बचाव के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य / गवाह प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों के परिशीलन से श्री राय द्वारा समर्पित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है।

अतः प्रमाणित आरोप के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, रूपौली, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पूर्व में विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक–2825 दिनांक–15.05.2014, जिसके माध्यम से इनकी शत–प्रतिशत (100%) पेंशन रोके जाने की शास्ति / दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया था, को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार राय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, रूपौली, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पूर्व में विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक–2825 दिनांक–15.05.2014, जिसके माध्यम से इनकी शत–प्रतिशत (100%) पेंशन रोके जाने की शास्ति / दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया था, को यथावत रखा जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by
Upendra Kumar
Date: 07-04-2025 10:04:12
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0नि0(पूर्णिया)–01 / 2009– खाद्य, पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि – 1. महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव / सचिव, बिहार / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 03 / आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार राय (तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, रूपौली, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत), पत्राचार पता–पिता–स्व0 राम प्रसाद राय, ग्राम / मोहल्ला–परबत्ती, पो0–भागलपुर सिटी, थाना–युनिवर्सिटी थाना, जिला–भागलपुर (बिहार), मोबाईल संख्या–8178052024 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – 2. मो0 नैयय्र इकबाल, विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।